

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
अनुभाग-5, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:

R-838(b)/जी-5-46डी/2019

दिनांक 24.09.2021

विषय:

तालाबों/झीलों एवं अन्य वॉटरबॉडीज पर हुए अतिक्रमण की स्थिति का आकलन किये जाने हेतु प्रारूप (सन् 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाब/झील/अन्य वाटरबाडीज की गाटावार स्थिति) में तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया परिषद पत्र संख्या-838/जी-5-46डी/2019, दिनांक 23.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी०आई०एल० संख्या-1474/2019, सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के अनुपालन में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

2- सूच्य है कि उक्त समिति की दिनांक 25.03.2021 को आहूत बैठक में मत स्थिर किया गया था कि तालाबों/झीलों एवं अन्य वॉटरबॉडीज पर हुए अतिक्रमण की स्थिति का आकलन किये जाने हेतु एक प्रारूप (सन् 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाब/झील/अन्य वाटरबाडीज की गाटावार स्थिति) (प्रतिलिपि संलग्न) का विकास किया जायेगा।

3- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी) के सहयोग से उक्त प्रारूप का विकास कर लिया गया है, जो कि राजस्व परिषद के मुख्य पृष्ठ के वेबपेज पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर लिंक के विभिन्न टैब section के view all में जाकर login करने पर अन्तिम टैब में (सन् 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाब/झील/अन्य वाटरबाडीज की गाटावार स्थिति) के नाम से प्रदर्शित हो रहा है।

4- यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवमानना वाद संख्या-3061/2020 मा० न्यायालय में सुनवायी हेतु नियत है, जिसमें मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की ओर से प्रतिशपथ पत्र योजित किया जाना है एवं शासन के राजस्व अनुभाग-2 के पत्र सं०-रिट-427/एक-2-2021, दिनांक 23.09.2021 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में तीन दिन के अन्दर आख्या मांगी गई है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें, कि वह अपने-अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित सूचना तत्काल राजस्व परिषद के मुख्य पृष्ठ के वेबपेज पर प्रदर्शित प्रारूप में ऑनलाइन दर्ज कराना सुनिश्चित कराये।

september month

सन् 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागवार अभिलेखों में दर्ज तालाब/झील/अन्य
वॉटरबॉडीज की गाटावार स्थिति

क्र० सं०	जनपद	तह सील	ग्राम	फसली वर्ष 1359 के अनुसार तालाब / झील/ अन्य वॉटर बॉडीज की गाटा सं०	फसली वर्ष 1359 के अनुसार तालाब / झील/ अन्य वॉटर बॉडीज के गाटे का कुल क्ष० (हे०)	फसली वर्ष 1359 के पश्चात नये खुदवाये गये तालाबों की गाटा संख्या	फसली वर्ष 1359 के पश्चात नये खुदवाये गये तालाब/ झील/ अन्य वॉटर बॉडीज के गाटे का कुल क्ष० (हे०)	चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात तालाब/ झील/ अन्य वॉटर बॉडीज की परिवर्तित गाटा सं०	चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात तालाब/ झील/ अन्य वॉटर बॉडीज के गाटे के कुल क्ष० (हे०)	तालाब/ झील/ अन्य वॉटर बॉडीज के प्रबन्ध कर्ता/ विभाग का नाम	दिनांक 01.04. 2021 को तालाब / झील/ अन्य वॉटर बॉडीज का अति क्रमित कुल क्ष० (हे०)	माह में तालाब / झील/ अन्य वॉटर बॉडीज का अति क्रमण से मुक्त कराया गया कुल क्ष० (हे०)	कमिक रुप से तालाब / झील / अन्य वॉटर बॉडीज का मुक्त कराया गया कुल क्ष० (हे०)	तालाब/ झील/ अन्य वॉटर बॉडीज का अवशेष अति क्रमण कुल क्ष० (हे०)	अति क्रमण कर्ता का नाम	अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध की गयी कार्यवाही			अवशेष अतिक्रमित तालाब/ झील/ अन्य वॉटर बॉडीज को मुक्त नहीं कराने का कारण	तालाब / झील / अन्य वॉटर बॉडीज का फोटो ग्रामस दिनांक सहित जिस पर अति क्रमण दर्शाता हो	यदि अतिक्रमण मुक्त हुआ है तो अतिक्रमण मुक्त तालाब / झील/ अन्य वॉटर बॉडीज का फोटोग्राफ स दिनांक सहित
																राजस्व वाद संख्या	यदि अपराधिक घातों के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो दर्ज FIR की वर्तमान स्थिति	ए०बी० एम०पी० पोर्टल पर दर्ज संदर्भ सं०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
जनपदवार योग																					

75																					
प्रदेश का कुल योग																					